

सेवा में,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
उधमसिंह नगर।

पत्रांक :- /0901/स्था0/शि0 एवं मा0 के0/2025

दिनांक:-11.03.2025

विषय :- शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-विभा0वेब0/2024-25/259-60 दिनांक-06.03.2025 के क्रम में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून के नियंत्रणाधीन संचालित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, से सम्बन्धित सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

1-केन्द्र की स्थापना हेतु शासनादेश-संलग्न।

2-पदों की स्थिति निम्न प्रारूप पर उपलब्ध :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	सहायक सेवायोजन अधिकारी	01	01	—
2	अनुदेशक भाषा	01	—	01
3	अनुदेशक सचिवीय पद्धति	01	—	01
4	अनुदेशक टंकण	01	—	01
5	वरिष्ठ सहायक	01	01	—
6	अनुसेवक	01	—	01 (प्रस्तावित)

3- वर्तमान में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र देहरादून में अनुदेशक के समस्त पद रिक्त होने के उपरान्त कोई भी प्रशिक्षण संचालित नहीं है।

4- विगत पाँच वर्षों में प्रवेश तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् :-

क्र.सं.	प्रशिक्षण सत्र	प्रवेशित अभ्यर्थी वर्गवार		उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी वर्गवार	
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1	2025	—	—	—	—
2	2024	23	12	—	—
3	2023	21	10	05	02
4	2022	38	15	11	13
5	2021	33	20	09	11

5- विगत पाँच वर्षों में सत्रवार प्रशिक्षण की स्थिति :- विगत 05 वर्षों में सत्रवार प्रशिक्षण सामान्य से निम्न स्तर पर रहा, चूंकि अनुदेशक संवर्ग के समस्त पद रिक्त होने के कारण प्रशिक्षण सुचारु संचालित होना सम्भव नहीं था।

6- सेवायोजित अभ्यर्थियों की विवरण-शून्य

7- अधिकतम 05 फोटोग्राफ-संलग्न।

8- सुझाव- वर्तमान परिदृश्य में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में संचालन हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम जैसे टंकण एवं सचिवीय पद्धति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रचलन में न्यून व भविष्य में रोजगार बाजार की माँग के अनुरूप न होने के कारण अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं। अतः शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों को समय के साथ रोजगार बाजार में कौशल प्रशिक्षण की उच्च माँग वाले पाठ्यक्रम संचालित किया जाना आवश्यक है प्रशिक्षण केन्द्रों में कम्प्यूटर टाइपिंग,वर्ड एक्सल, पावर प्वाइंट व टेली जैसे आधारभूत प्रशिक्षण जो कि राजकीय व निजी क्षेत्र के साथ ही स्वरोजगार के लिए भी उपयुक्त कौशल हैं संचालित किया जाना उचित होगा। प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम के रूप में DOPT, RSTATI नैनीताल व अन्य मानक पाठ्यक्रमों को अंगीकृत किया जाना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन एवं हिन्दी व अंग्रेजी भाषा को समेकित कर एक अन्य विषय जोकि समूह ग अथवा उच्चतर स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सामान्य गणित,सामान्य विज्ञान एवं तारकिक समता विषय के लिए भी पृथक से अनुदेश की तैनाती किया जाना उचित होगा। उक्त तीनों प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु तीन प्रशिक्षकों की आवश्यक रूप से प्रत्येक केन्द्र में तैनाती की जानी चाहिए। केन्द्र में प्रवेश हेतु एस0सी0, एस0टी0,ओ0वी0सी वर्ग के लाभार्थी ही पात्रता की श्रेणी में आते हैं जिसके कारण अनेक केन्द्रों में न्यून संख्या में प्रवेश होते हैं।

अतः पात्रता की श्रेणी के सभी लाभार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात शेष पर ई0डब्लू0एस0 (सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों) को भी प्रवेश दिया जाना उचित होगा ताकि अधिकाधिक लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

भवदीय
(मुकेश प्रसाद रयाल)
सहायक सेवायोजन अधिकारी,
शि0 एवं मा0 द0 केन्द्र,
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय,
देहरादून